

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

17 (79)

8

क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो 610  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28-1-13


1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
मध्यप्रदेश
3. समस्त अधीक्षण यंत्री  
लोक निर्माण विभाग  
मध्यप्रदेश
4. समस्त कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग  
मध्यप्रदेश

विषय:- प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा का निराकरण।

---0---

प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को बिना खोले पुनः निविदा आमंत्रित करने के संबंध में जारी म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 के परिपत्र क्रमांक एफ-52/1/10/यो/19-51 दिनांक 03.01.2011 एवं तत्पश्चात् आंशिक संशोधन कर शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो-6531 दिनांक 07.11.2012 द्वारा विभाग में रिस्क एण्ड कास्ट तथा परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत ठेकेदार की लगत पर भरणगत कार्य की निविदाओं के प्रथम आमंत्रण में प्राप्त एकल निविदा को भी खोला जाने का निर्णय लिया गया है। शासन एतद् द्वारा उक्त दोनों परिपत्रों को निरस्त कर आदेशित करता है कि पर्याप्त प्रकार प्रकार के उपरोक्त प्राप्त एकल निविदा को भी खोला जावे एवं निर्णय हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विचारार्थ लिया जावे।

सं.प्र.सं-0



म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)  
राचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ-53-1-2010-19-यो

प्रति-

- 1- महालेखाकार म0प्र0 म्वा.वि.भर/भोपाल।
- 2- विशेष सहायक मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 3- प्रमुख राचिव म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा, चाणज्य कर, विविक्तता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, मह0 विभाग, विधि और विभागीय कार्य विभाग।  
की ओर सूचनाएं प्रेषित।

सं.प्र.सं-0

17/1/2013

राचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

27 ~~44~~